न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :— मुहम्मद जुनैद पीपी, आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 09/16

1. कमलदीप पुत्र स्व० राजकुमार पुत्र प्रतापसिंह जाति बावरी जरिये बली संरक्षक माता राजकौर पत्नी स्व0 राजकुमार जाति बावरी निवासी ततारसर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

—प्रार्थी

बनाम

1. प्रताप सिंह पुत्र श्री केहर सिंह जाति बावरी निवासी ततारसर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त.अधि.

उपस्थितिः—

1. श्री रणजीत सोनी, वकील प्रार्थी
2. श्री रविन्द्र बिश्नोई, वकील अप्राथी सं. 1

—:निर्णय:— दिनांकः—17.02.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना—पत्र में निवेदन किया कि चक 51 एनपी का मु.नं. 01 पं.नं. 239/332 का कि.नं. 13/2, 14—15—17/2 —18—19—20 में कुल 1.557 है0 नहरी भूमि जो कि केहर सिंह पुत्र मंगलसिंह के नाम से थी और केहरसिंह के देहान्त के बाद उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 01 प्रतापसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। इस प्रकार यह भूमि पैतृक सम्पति है। जिसमें प्रार्थी कमलदीप का 1/5 हिस्सा है। यानि प्रतापसिंह के कानूनी वारिस गुरदेवसिंह, स्व0 राजकुमार, मिन्दो, मलकीतो है। इस प्रकार प्रार्थी के पिता स्व0 राजकुमार का 1/5 हिस्सा है और प्रार्थी राजकुमार एकमात्र वारिस है। अप्रार्थी सं. 01 प्रतापसिंह परिवार का मुखिया होने के कारण उसके नाम से भूमि रिकार्ड में विरास्तन दर्ज हुई। जिसमें प्रार्थी के पिता स्व0 राजकुमार का 1/5 हिस्सा है और उक्त 1/5 हिस्सा का मुझ प्रार्थी वारिस है। जो प्रार्थी पाने का अधिकारी है। प्रार्थी अपने हक व अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी अपने पड़दादा केहरसिंह की भूमि में अपना 1/5 हिस्सा पाने का अधिकारी हूँ। प्रार्थी जब 2 माह का था उस दौरान देहान्त हो गया और उसके बाद प्रार्थी की माता राजकौर पालन पोषण कर रही है और भूमि पर काश्त कर रही है। अप्रार्थी सं. 1 ने दिनांक 15.01.2016 को धमकी दी की तुझे इस भूमि से बेदखल कर दुंगा और उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में मेरे नाम से दर्ज को बेचान कर दुंगा और आपको कब्जा से बेदखल कर दुंगा। यदि अप्रार्थी अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो मुझ प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा और प्रार्थी का पालन—पोषण नही हो सकेगा। अप्रार्थी अवैधानिक तरीके से भूमि को खुर्द—बुर्द करना चाहता है। प्रार्थी का उक्त भूमि में हक व हिस्सा है। जो प्रार्थी अपना 1/5 हिस्सा यानि 0.312 है0 भूमि पाने का अधिकारी है। प्रार्थी का उपरोक्त भूमि में अपने पडदादा की भूमि होने के कारण हक व हिस्सा है व भूमि काश्त की जा रही है। प्रार्थी कानूनी प्रक्रिया के तहत भूमि पाने का अधिकारी है। यदि अप्रार्थी सं. 1 प्रताप सिंह अपने अवैधानिक कृत्य में कामयाब हो जाता है या भूमि को बेचान कर देता है तो प्रार्थी अपने हक व अधिकारों से वंचित हो जायेगा और भूमि वापिस लेने में कठिनाई होगी। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी करवाने का अधिकारी है कि अप्रार्थी उपरोक्त भूमि में प्रार्थी का हक व हिस्सा यानि 0.312 है0 को किसी प्रकार से खुर्द—बुर्द नही करे और किसी को रहन बैय नही करे और अन्य किसी को हस्तान्तरण नही करे और भूमि पाने में किसी प्रकार का व्यवधान नही डाले।

अतः प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त.अधि. बहक प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थीगण सादिर फरमाया जावे व इस कदर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे।

उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner

कि चक 51 एनपी का मु.नं. 01 पं.नं. 239/332 का कि.नं. 13/2, 14–15–17/2 –18–19–20 में कुल 1.557 है0 नहरी भूमि में प्रार्थी का 1/5 हिस्सा यानि 0.312 है0 में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की मदाखलत बेजा नही करे और रहन बैय नही करे व भूमि को हस्तान्तरण नही करें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री रविन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में दिये गये तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कर निवेदन किया कि विवादीत भूमी अप्रार्थी के नाम से बटवारा होने के बाद दर्ज हुई है। जो पैतृक सम्पति की परिभाषा में नहीं आती है। अप्रार्थी के पिता के कुल 6 वारीसान मे अपना हक अप्रार्थी के पक्ष में दस्तबरदार होते हुए त्याग दिया था। अप्रार्थी को अपनी बहनों से प्राप्त रकबा पैतृक सम्पति की परिभाषा में नहीं आने से प्रार्थी या अप्रार्थी के किसी अन्य वारीस का कानूनन हक नहीं बनता है। अप्रार्थी का मूल विरास्तन हिस्सा भूमि का सखातेदारान के बंटवारा होने से पूर्व .518है0 ही बनता था, और अप्रार्थी के चार संतान हैं। सहखातेदारान के मध्य हुए विधीक खाता विभाजन से पूर्व अप्रार्थी के मूल विरास्तन .518है0 रकबा में अप्रार्थी व उसके वारिसान का 1/5 1/5 हिस्सा निश्चित था लेकिन विधीक बटवारा होने के पश्चात विवादित भूमि जददी जायदात कि परिभाषा में नहीं होकर स्वअर्जित सम्पति कि परिभाषा में होने से प्रार्थी का कोई हक व हिस्सा नहीं है। अप्रार्थी के पुत्र राजकुमार की मृत्यु होना व उसका एकमात्र पुत्र प्रार्थी का होने का तथ्य स्वीकार है। प्रार्थी का विवादीत भूमि पर किसी प्रकार का घोषणा करवाकर निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी का विवादीत भूमि को खुर्द–बुर्द करने कि मंशा नहीं है। अप्रार्थी के विरूध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी कि जाती है तो अप्रार्थी को ना पूरा होने वा नुकसान होगा। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थी के पक्ष में हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उभय पक्ष के वकीलो की प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में मौजूद दस्तावेज जमाबंदी सम्वत 2063–66 चक 51 एनपी खाता सं. 53/48 मंगल सिंह वल्द सावल सिंह कौम बावरी सा. देह खातेदार दर्ज हैं। तथा जरिए इन्तकाल समस्त खाता विरास्तन केहस सिह पुत्र मंगल सिंह कौम बावरी के सा. देह को हस्तांतरण होना अंकित हैं। जमाबंदी संम्वत 2071–74 चक 51 एनपी खाता सं. 33/24 प्रताप सिंह वल्द केहर सिंह कौम बावरी सा. देह खातेदार दर्ज हैं। प्रथम दृष्टया वादगत भूमि पैतृक सम्पत्ति होना प्रतीत होता हैं। तथा अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में भी " अप्रार्थी के पुत्र राजकुमार की मृत्यु होना व उसका एकमात्र पुत्र प्रार्थी का होने का तथ्य स्वीकार है।" कथन अंकित किया हैं। प्रार्थी कमलदीप का उक्त भूमि में हिस्सा हैं अथवा नहीं इसका निर्णय मूल वाद में तनकीयात कायम कर गुणावगुण के आधार पर किया जाना हैं। चूंकि भूमि का पैतृक होना प्रतीत होता हैं, ऐसे में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में हैं। प्रार्थी नाबालिक हैं तथा उसके पिता की मृत्यु भी हो चुकी हैं, अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में हैं। ऐसी स्थिति में यदि अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जाती हैं तो अपूर्णीय क्षति अप्रार्थी को न होकर प्रार्थी को होने की संभावना हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटी एक्ट स्वीकार किया जाता हैं तथा न्यायालय द्वारा दिनांक 28.01.2016 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद निर्णय तक कन्फर्म किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

17/2/2020

(मुहम्मद जुनैद पीपी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner